भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 216

03 अगस्त, 2021

"तेरना शेतकरी सहकारी चीनी मिल"

***216. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेरना शेतकरी सहकारी चीनी मिल परिसमापन के कारण बंद है;

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र के किसानों और कामगारों के समक्ष आ रही समस्याओं और कठिनाइयों के दृष्टिगत उक्त फैक्ट्री/मिल को पुन: खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त मिल को बैंकों की सहायता से पुन: खोले जाने का प्रस्ताव है और संबंधित मंत्रालयों के बीच फैक्ट्री/मिल के किराये तथा कामगारों को भविष्य निधि की देय राशि के संवितरण के संबंध में विभागीय सहमति बन गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा उक्त चीनी फैक्ट्री/मिल को पुन: खोलने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 216 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर के संदर्भ में विवरण

(क) और (ख): जी हां। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तेरना शेतकरी सहकारी चीनी मिल, तेरनानगर, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र भारी नुकसान और कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण बंद पड़ी हैं तथा इसे दिनांक 20.11.2017 को परिसमापन में ले लिया गया था।

केंद्रीय सरकार ने देश में नई चीनी मिलों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त कर दिया है। अब, सहकारी क्षेत्र के बंद चीनी मिलों को पुन: खोलने/पुनरुज्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी संबंधित सहकारी समिति की है।

(ग) से (ड.): महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, सोलापुर ने कामगारों के भविष्य निधि बकाया की वसूली के लिए दिनांक 28.09.2015 को चीनी मिल की संपत्ति जब्त कर ली है। चीनी मिल के परिसमापक ने माननीय उच्च न्यायालय में भविष्य निधि की देय राशि की वसूली को चुनौती दी है और चीनी मिल की संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया अर्थात् ई-निविदा प्रक्रिया पर कोर्ट ओदश द्वारा रोक लगा दी गई है। उस्मानाबाद जिला सहकारी बैंक ने चीनी मिल को पट्टे पर देने की अनुमति के लिए रिट याचिका सं. 7909/2019 दायर की है। परंतु उक्त याचिका उच्च न्यायालय में अब भी लंबित है। मामला विचाराधीन है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद न्यायपीठ में दायर याचिकाओं पर लिए जाने वाले निर्णय के अध्यधीन चीनी मिल को पुन: खोलने की संभावना तय की जा सकती है।